

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जुलाई 20, 1978/ आषाढ़ 29, 1900
No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1978/ASADHA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1978

सं. 7/6/77-सी. एल. 5.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 23 जून. 1977 के
इसी संख्या के सरकारी संकल्प के अंतर्गत नियुक्त की गई समिति द्वारा प्रस्तुत
की जाने वाली रिपोर्ट की अवधि 31 अगस्त, 1978 तक बढ़ाती है।

आदेश

आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति राज्य सरकारों, संघ प्रशासित क्षेत्रों, भारत
सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, सचिवालय, भारत के

राष्ट्रपति के सैनिक सचिव तथा भारत के उप-राष्ट्रपति के निजी सचिव को भी भेजी जाय ।

आदेश दिया कि वह भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

पी. कृष्णमूर्ति, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th July, 1978

RESOLUTION

No. 7/6/77-CL.V.—The Central Government hereby extends the time of submission of Report by the Committee appointed under Government Resolution of even number dated the 23rd June, 1977, upto 31st August, 1978.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution also be communicated to all the State Governments, Union Territories, Ministries and Departments of the Government of India, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Military Secretary to the President of India and Private Secretary to the Vice-President of India.

Ordered also that it be published in the Gazette of India, Extraordinary.

P. KRISHNAMURTI, Secy.